



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

दिनांक 07.11.2025

कार्यालय जापन सं.79/2025

कार्यालय जापन सं. 57/2023, दिनांक 15.05.2023 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संविदा के आधार पर कर्मचारियों को रखने के लिए संशोधित दिशानिर्देश की समीक्षा और रूपरेखा तैयार करने, नवीनीकरण के समय पारिश्रमिक में वृद्धि, संविदा अवधि के दौरान अवकाश का अधिकार आदि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति बनाई थी:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	समिति में स्थान
1;	श्री धनंजय मंडल, वि स एवं मु ले अ	समिति के अध्यक्ष
2.	डॉ. ऋषिकेश राय, सचिव	सदस्य
3.	श्री आर.एल. बैश्य, उ नि चा वि, गुवाहाटी	सदस्य
4.	श्री आर. सेल्वम, डी उ नि चा वि, (प्रभारी), कून्नूर	सदस्य
5.	डॉ. अनिरबन बसु मजूमदार, क्षे का, कर्षियांग	सदस्य

इस पर विचार करने के बाद, उक्त समिति ने निम्नलिखित सिफारिशों की हैं और उन्हें सक्षम अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से टी बोर्ड में लागू करने के लिए स्वीकार भी कर लिया है:-

1.	आउटसोर्स कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की दर अब से उनके मौजूदा पारिश्रमिक पर वार्षिक आधार पर 6.5% होगी;
2.	टी बोर्ड के मुख्यालय और अन्य आंचलिक/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों सहित आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के सभी नवीकरण अलग-अलग समय पर नवीकरण करने के बजाय एक ही समय पर निष्पादित किए जाने चाहिए:
3.	समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे सभी नवीकरण की तिथि काट प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 15वीं तारीख होगी यानी 01.01.2026, 01.01.2027 आदि:
4.	यदि किसी संविदा कर्मचारी का नवीनीकरण उक्त तिथि काट से पहले होता है, तो एक अस्थायी उपाय के रूप में, उसकी नियुक्ति की वैधता बिना किसी वेतन वृद्धि के तब तक बढ़ा दी जाएगी, जब तक कि वह अंतिम रूप से जीईएम पोर्टल के माध्यम से नियुक्त नहीं हो जाता::
5.	इस प्रकार का समस्त अनुबंध/नवीनीकरण विशेष रूप से जीईएम पोर्टल के माध्यम से होगा:
6.	टी बोर्ड के संबंधित विभाग को नियमित आधार पर यह निगरानी करना होगा कि बाहरी एजेंसी द्वारा तैनात संविदा कर्मचारियों की वतन से काटी गई पीएफ रकम नियमित आधार पर पीएफ अधिकारियों के पास जमा हो रही है या नहीं।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:

1.	बोर्ड का मुख्यालय,कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
2.	कार्यकारी निदेशक, गुवाहाटी एवं कून्नूर	
3.	वि स एवं मु ले अ	
4.	टी बोर्ड के सभी आंचलिक/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों	
5.	स नि चा वि (वि सा)	
6.	उपाध्यक्ष, वि स एवं मु ले अ, एवं सचिव के निजी सहायक	
7.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
8.	टीबीईए	
9.	भंडार शाख	अतिरिक्त प्रतियां सहित।

संदर्भ फाइल सं.23(11)/स्था/2022